170

संख्या 983 /XXVII(1)/2014

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग –1 देहरादून, दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014, शासनादेश संख्या–497/XXVII(1)/2014 दिनांक 29 मई, 2014 एवं शासनादेश संख्या–622/XXVII(1)/2014 दिनांक 26 जून, 2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की धनराशियां आपके निवर्तन पर अग्रेत्तर स्वीकृतियां निर्गत करने हेतु रखी गयी थी। इसी कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 की द्वितीय अनुपूरक मांगों एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम–2014 पारित होने के फलस्वरूप द्वितीय अनुपूरक मांग की धनराशियां निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन विभागों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– चूंकि अनुपूरक बजट में बजट प्राविधान मुख्यतः बचतों से वहन करने की परिकल्पना की गई है, अतः द्वितीय अनुपूरक मांग की धनराशि व्यय हेतु निवर्तन पर रखने हेतु कड़े परीक्षण व नियंत्रण आधार पर ही कार्यवाही की जाय।

2– द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि में वचनबद्ध मदों यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युत देय, जलकर/जलप्रभार, औषधि, भोजन व्यय आदि व्ययों तथा अधिष्ठान सम्बन्धित अन्य मदों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता/व्यय का आकंलन करते हुये एवं यथास्थिति मूल बजट प्राविधान/प्रथम अनुपूरक के सापेक्ष धनराशि कम पड़ने

की दशा में ही इन मदों की धनराशियां आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन में शासनादेश दिनांक 18.03.2014 में इंगित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत रखी जायें। आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष की राजस्व व्यय सम्बन्धी अन्य मदों के सापेक्ष भी वास्तविक आवश्यकता/व्यय का आंकलन करते हुये मूल बजट/प्रथम अनुपूरक की धनराशि कम पड़ने पर ही मितव्ययता बरतने की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये वित्त विभाग के पूर्व परामर्श/सहमति से धनराशि आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रखी जायें।

3– नई मांग के तहत द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिये धनराशि आयोजनागत पक्ष में परिव्यय उपलब्धता के अधीन वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में वास्तव में व्यय हो सकने वाली धनराशि योजना की सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं नियोजन विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति से ही व्यय हेतु अवमुक्त की जायेगी।

4– वर्ष 2014–15 के द्वितीय अनुपूरक की केन्द्रपोषित/बाह्य सहायतित योजनाओं एवं एस0पी0ए0 अन्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर अपलोडेड एवं अनुमत योजनाओं के सापेक्ष धनराशि मूल/प्रथम अनुपूरक बजट की धनराशि कम पड़ने पर केन्द्र सरकार से धनराशि अवमुक्त हो जाने अथवा इस हेतु स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त हो जाने की दशा में वित्त विभाग की पूर्व सहमति से आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर व्यय हेतु रखी जायें। इन योजनाओं की धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना कि धनराशि राज्य को प्राप्त हो गयी है, इसलिए अति आवश्यक है कि राज्य सरकार का वर्तमान वित्तीय वर्ष का राजस्व बैलेन्स (बी0सी0आर0) ऋणात्मक अनुमानित है तथा ऋण आदि से केन्द्रपोषित योजनाओं के सापेक्ष राज्यांश एवं राज्य पोषित योजनाओं आदि का वित्तपोषण होना है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन योजनाओं/प्रकरणों में कोई धनराशि प्रतिपूर्ति आधार पर प्राप्त होनी है तो भारत सरकार से वर्ष 2014–15 के लिये उत्तराखण्ड को दी जाने वाली जो धनराशि अनुमोदित है उसी सीमा तक धनराशि निवर्तन पर रखी जायेगी एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रशासकीय विभागों के स्तर से इस सम्बन्ध में अब तक व्यय हुई धनराशि के दावे पूर्ण विवरण पर निर्धारित प्रकिया/प्रपत्र अनुसार बनाकर भारत सरकार भेज दिये गये हैं व उपयोगिता प्रमाण पत्र/ सम्बन्धित अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं।

5— इसके अतिरिक्त द्वितीय अनुपूरक मांगों में विभिन्न घोषणाओं/एकमुश्त प्राविधान से सम्बन्धित योजनाओं का भी समावेश किया गया है। इस सम्बन्ध में धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित सभी औपचारिकतायें यथा योजना/कार्य की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है तथा डी0पी0आर0, टी0ए0सी0, ई0एफ0सी0, नियोजन विभाग से परिव्यय की उपलब्धता आदि आवश्यकतायें औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं। ऐसे प्रकरणों में भी प्रत्येक कार्य/प्रकरण के लिये धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किया जाय।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 983 (1)/XXVII(1)/201 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
4. समस्त जिला वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. शासन के समस्त अनुभाग।
6. एन0 आई0 सी0, सचिवालय, देहरादून।
7. उपनिदेशक, शासकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश की 500 प्रतियाँ कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव